न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी, श्रीमती कंचन राठौड़ आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या – 174/2023
जीसीएमएस सं. – 2023/276

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :
राहुल चौधरी पुत्र भागीरथ राम जाति जाट निवासी बेनण तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।		भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता
श्री मधुसुदन चौधरी प्रार्थीगण की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदार स्वयं

निर्णय

दिनांक : 25.10.2023

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है कि ग्राम जसपाली तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुद जमीन आयी हुई हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैं :–

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
535	246	1.1083 हैक्टयर	चाही चतुर्थ
537	246/2	1.1083 हैक्टयर	चाही चतुर्थ
536	246/3	1.1083 हैक्टयर	चाही चतुर्थ

उक्त वर्णित आराजी प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुद जमीन है जो राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज हैं। खसरा नम्बर 256 गै.मु.कटाणी रास्ता व प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी के मध्य खसरा नम्बर 239/2 किस्म बारानी चतुर्थ राजस्थान सरकार के नाम दर्ज भूमि आयी हुई है। प्रार्थी गै.मु.कटाणी रास्ता खसरानम्बर 256 से अप्रार्थी के नाम दर्ज भूमि खसरा नम्बर 239/2 में से होकर अपने खेत खसरा नम्बर 246, 246/2, 246/3 में आता जाता है जिस रास्ता को संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए, बी, सी, डी, से दर्शाया गया हैं तथा आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त रास्ता के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। गै.मु. कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 256 में वादग्रस्त रास्ता खसरा नम्बर 239/2 मार्क ए, बी, सी, डी, प्रार्थी के खेत में आने जाने का निकटतम व सुविधाजनक रास्ता है इसके अलावा प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 246, 246/2, 246/3 में आने जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता खसरा नम्बर 256 गै.मु. कटाणी रास्ता से वादग्रस्त रास्ता मार्क ए, बी, सी, डी, खसरा नम्बर 239/2 राजस्व रेकर्ड में रास्ता घोषित करने हेतु कहा लेकिन अप्रार्थी ने खसरा

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

नम्बर 239/2 वादग्रस्त रास्ता घोषित करने हेतु श्रीमान न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु कहा इसलिए प्रार्थी ने राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी की नकले प्राप्त कर गै.मु. कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 256 से अपने खेत तक वादग्रस्त रास्ता खसरा नम्बर 239/2 जो संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए, बी, सी, डी दर्शाया हुआ हैं रास्ता घोषित करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा हैं। प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 246, 246/2, 246/3 व गै.मु. कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 256 के मध्य वादग्रस्त रास्ता मार्क ए, बी, सी, डी खसरा नम्बर 239/2 की जमीन हैं जो निकटतम सुविधाजनक रास्ता हैं इसलिए वादग्रस्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में रास्ता घोषित फरमावें जिस हेतु प्रार्थी डीएलसी दर से रकम जमा करवाने का तैयार हैं। प्रार्थी की जमीन व वादग्रस्त रास्ता वाली भूमि ग्राम जसपाली की सीमा में स्थित होने एवं वाद कारण जसपाली, पीपाड़ शहर में पैदा होने से प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार, श्रवणाधिकार का हैं। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि ग्राम जसपाली की सीमा में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 246, 246/2, 246/3 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 256 गै.मु. कटाणी रास्ता से वादग्रस्त रास्ता खसरा नम्बर 239/2 में से मार्क ए, बी, सी, डी रास्ता घोषित किया जाने का आदेश फरमावें। अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थी हो प्रार्थी के हक में अता फरमावें।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 3 तहसीलदार पीपाड़ शहर ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि मौके पर राजस्व रेकर्ड अनुसार कोई रास्ता नही होना पाया । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित चाही गयी बिन्दु सं. ए, बी, सी, डी, को मौका निरीक्षण अनुसार उक्त वांछित रास्ते की भूमि ग्राम जसपाली के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के खाता सं. 1 में राजकीय भूमि खसरा नम्बर 239/2 रकबा 0.1052 हैक्टयर किस्म बारानी चतुर्थ दर्ज हैं। ग्राम जसपाली के खसरा नम्बर 246, 246/2, 246/3 में आने जाने हेतु उक्त वांछित भूमि उपयुक्त हैं। नजरी नक्शा अनुसार बिन्दु सं. ए, बी, सी, डी कुल क्षैत्रफल 1052 वर्ग मीटर हैं। वांछित भूमि की डीएलसी दर 147301/– प्रति हैक्टयर हैं। वांछित भूमि का मूल्य X 2 = 147301 X 0.1052 X 2 = 30992/– रूपये बनती हैं।

हमने बहस वकुलाय सुनी, वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम जसपाली की सीमा में खसरा नम्बर 246, 246/2, 246/3 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 256 गै.मु. कटाणी रास्ते से वादग्रस्त रास्ता खसरा नम्बर 239/2 में से मार्क ए, बी, सी, डी रास्ता घोषित फरमाने का निवेदन किया हैं । इसी प्रकार तहसीलदार पीपाड़ शहर ने अपनी मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम जसपाली के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत्

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

2075–2078 के खाता सं. 1 में राजकीय भूमि खसरा नम्बर 239/2 रकबा 0.1052 हैक्टयर किस्म बारानी चतुर्थ दर्ज हैं। ग्राम जसपाली के खसरा नम्बर 246, 246/2, 246/3 में आने जाने हेतु उक्त वांछित भूमि उपयुक्त हैं। नजरी नक्शा अनुसार बिन्दु सं. ए, बी, सी, डी कुल क्षैत्रफल 1052 वर्ग मीटर हैं। वांछित भूमि की डीएलसी दर 147301/– प्रति हैक्टयर हैं। वांछित भूमि का मूल्य X 2 = 147301 X 0.1052 X 2 = 30992/– रूपये बनती हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, तहसीलदार पीपाड़ शहर की मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार ग्राम जसपाली के खसरा नम्बर 246, 246/2, 246/3 में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 239/2 मेंसे मौका फर्द में दर्शाये बिन्दु सं. ABCD दिया जाना प्रस्तावित है। क्योकि उक्त रास्ता नजदीकतम व सुलभतम रास्ता हैं। इसके अलावा अन्य कोई नजदीकी रास्ता नही हैं।

अतः राजस्व ग्राम जसपाली के खसरा नम्बर 246, 246/2, 246/3 में आने जाने हेतु राजकीय भूमि खसरा नम्बर 239/2 मेंसे तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्रस्तुत कमिश्नर रिपोर्ट मार्क ABCD रास्ते की भूमि घोषित की जाती हैं। उक्त रास्ते के काम आई भूमि को मालियत की गणना अनुसार वांछित भूमि की डीएलसी दर 147301/– प्रति हैक्टयर हैं। वांछित भूमि का मूल्य X 2 = 147301 X 0.1052 X 2 = 30992/– रूपये बनती हैं। जो राशि नियमानुसार मार्फत तहसीलदार प्रार्थी से प्राप्त कर राजकोष जमा करावें। तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि रास्ते के काम आई भूमि की मालियत की गणना अनुसार राशि 30992/–रूपये का चैक/डी.डी. प्रार्थी से प्राप्त कर अप्रार्थी/राजकोष में जमा करावें एवं रास्ते की भूमि की तरमीम राजस्व नक्शे में करें । इस आशय की तहरीर तहसीलदार पीपाड़ शहर के नाम जारी हो । मौका कमिश्नर रिपोर्ट व उसमें संलग्न मौका फर्द एवं नजरी नक्शे को निर्णय का अंग समझा जावें । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 25.10.2023 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर